



## प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**

**दिनांक- 07.03.2026**

**थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध असलाह-कारतूस के साथ 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा रात्रि गस्त के दौरान ग्राम दुआरी से गंगरौली जाने वाले मार्ग पर दो व्यक्ति जा रहे थे। जब उन दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को देखा तो वे दोनों भागने लगे। संदिग्ध प्रतीत होने पर दोनों व्यक्तियों को दुआरी-गंगरौली मार्ग पर खाली पड़ी ग्राम सभा की जमीन पर सड़क से लगभग 50 कदम की दूरी पर पकड़ लिया और पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अजय सिंह उर्फ तनु पुत्र शिव सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम मानसिंह का पुरवा मजरा दुआरी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रजत शुक्ला पुत्र चुन्ना शुक्ला उर्फ अश्वनी शुक्ला उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी ग्राम दुआरी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात बताया। अजय सिंह उर्फ तनु उपरोक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर तथा रजत शुक्ला उपरोक्त की तलाशी से 01 अवैध देशी तमंचा नाजायज 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलाह-कारतूस बरामद होने पर दोनों अभियुक्तों को दिनांक 07.03.2026 को पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों से बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 0058/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- अजय सिंह उर्फ तनु पुत्र शिव सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम मानसिंह का पुरवा मजरा दुआरी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
2. रजत शुक्ला पुत्र चुन्ना शुक्ला उर्फ अश्वनी शुक्ला उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी ग्राम दुआरी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात

### पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया गया कि हम दोनों दहशत फहलाने के लिए व गांव में अपना रुआब जमाने के लिए तथा रंगबाजी के लिए तमंचे और कारतूस अपने पास रखते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। पकड़े गये अभियुक्तों से तमंचा रखने का लाइसेंस मांगा गया तो दिखाने में नाकाम रहे।

### बरामदगी का विवरण-

01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर।

### अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 0058/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
- 2- मु0अ0सं0 0048/2026 धारा 351(3)/324(4)/3(5)/288 बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

### गिरफ्तार करने वाली थाना गजनेर पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री शोभित कटियार चौकी प्रभारी पामा
- 2- का0 281 सुनील कुमार
- 3- का0 357 राजेश कुमार
- 4- का0 379 अनुज कुमार
- 5- का0 सहचालक गणेश पटेल